विंटेज मोटर वाहनों का निर्यात

2342. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो के दौरान प्रतिवर्ष भारत से किन-किन देशों को विंटेज मोटर वाहनों का निर्यात किया गया हैं;

(ख) अब तक किन-किन पार्टियों को इन वाहनों के निर्यात लाइसेंस प्रदान किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार के निर्यात हेतु कोई मानदंड नीति निर्धारित की हैं; और

(घ) इस प्रकार के निर्यातों से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (घ) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय, वाणिज्य मंत्रालय, कलकत्ता द्वारा यह बताया गया हैं कि व्यापार वर्गीकरण में विटेंज कारें अलग से विनिर्दिष्ट नहीं की गई हैं। इस प्रकार, विटेंज मोटर वाहनों के निर्यात-मूल्य उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान पुरानी या इस्तेमाल की गई मोटर कारों और अन्य मोटर-वाहनों के कुल निर्यात-मूल्य क्रमश: 85.61 लाख रूपये, 6.16 करोड़ रूपये और 15.73 लाख रूपये (अनन्तिम) हैं। उक्त निर्यात, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), बंगलादेश, कुवैत, ओमान, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), आस्ट्रेलिया, तंजानिया, जाम्बिया, श्रीलंका, बेल्जियम और जापान को किए गए हैं।

(ख) और (ग) मौजूदा निर्यात और आयात नीति के तहत 1.1.195 से पहले विनिर्मित विंटेज मोटर कारों, पुर्जो और उनके संघटको का निर्यात, निर्यात लाइसेंस पर किया जाता हैं और 1.1.1950 के बाद विनिर्मित विंटेज मोटर कारों, पुर्जो और उनके संघटकों का निर्यात लाइसेंसिंग संबंधी किसी औपचारिकता के बिना निर्यात करने की अनुमति दी जाती है बशर्ते यह तत्समय प्रवृत्त किसी कानून द्वारा विनियमित न हो। पिछले तीन वर्षो अर्थात् 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान कोई निर्यात लाइसेंस जारी नहीं किया गया हैं। तथापि, निर्यात लाइसेंस संख्या 0011337 दिनांक 23-9-96 श्री किशोर गिडवानी को 1936 मॉडल की एक बेंटले कार मरम्मत के लिए यूके को निर्यात करने और मरम्मत के बाद भारत में आयात करने के लिए जारी किया गया था। जो 08-09-1999 तक के लिए वैद्य हैं। दूसरा लाइसेंस सं. 0034190 दिनांक 16-07-98 भी चेन्नई के श्री डेंजिल गाडफ्रे राव को एक ऑस्टिन 10 एचपी सैजन 1947 मॉडल निजी प्रयोग के लिए आस्ट्रेलिया को निर्यात करने के लिए जारी किया गया हैं क्योंकि वह वहां जाकर बस गए है।

Violations by foreign automobile manufacturers

2343. SHRI ABANI ROY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that rules relating to import of automobile and four wheelers as set out by Government and DGFT arc being flouted rapidly by foreign manufacturers with or without assistance from Indian counterpart or the users;

(b) whether their export obligations as well as indigenisation process arc not being achieved or aimed to be achieved in the near future;

(c) the estimated cost of import bills spent out during the last four years;

(d) whether any preventive action has been taken in this regard; and

(c) if so, the facts and details thereof?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) and (b) As per Automobile Policy, import of Completely/Semi-Completely Knocked Down (CKD/SKD) kits is governed by Public Notice No. 60 dated 12.12.1997 issued in this regard, whereas import of car components is under free category. So far eight car manufacturing companies have signed Memoranda of Understanding stipulated in above mentioned Public Notice with the DGFT. The companies that have signed the MOUs arc importing CKD/SKD kits as per the provisions of the aforementioned Public Notice. These companies have given their commitments regarding export obligation and indigenisation in their respective Memoranda of Understanding. For export obligation, there exists a moratorium of two years from the date of